न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—170/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/170)

1. अब्दुल सत्तार खान पुत्र श्री अब्दुल मजीद खां, जाति मुसलमान, निवासी 76, राजकीय स्कूल के पास, उपर का बास, बलाड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर, विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.04.2022 राजस्व वाद संख्या 74/2021(2021/297)

उपस्थितः—

1. श्री नगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः— 18.11.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 74/2021 (2021/297) में पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थी/रेस्पोडेंट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 19.4.2022 द्वारा खारिज करमा दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलांट के पास आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग है जिसमें किसी प्रकार की रूकावट नहीं है, जबकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट अपनी जोत पर आने जाने के काम आ रहे रास्ते को जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण रास्ते के काम में आ रहे मार्ग को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु आवेदन किया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र में यह कहते हुए खारिज किया कि अपीलांट ने जिन खसरा नम्बर में से रास्ता मांगा है वह खाता संख्या 1 में दर्ज होकर सरकारी भूमि है जबकि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यदि खातेदार के पास अपनी जोत पर आने जाने के लिए रिकार्डेड रास्ता नहीं है तो सरकारी भूमियों से जो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है, से भी रास्ता दिया जाएगा। उक्त विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर आने जाने के लिए यदि मौके पर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है तो अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी बाबत मौके की लघुतम/दीर्घतम तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति व अपीलांट व रेस्पोडेंट की उपस्थिति में मंगवाई जाकर विवादित आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध लघुतम/दीर्घतम मार्ग का प्रस्तावित आराजी पर चाहे गए मार्ग का विवरण, मार्ग पर रेस्पोडेंट द्वारा कहां से मार्ग चाहा गया है लघुतम मार्ग किधर है कितना रकबा चाहा है, उक्त रकबे की डी.एल.सी दर से चाहे गए मार्ग में किस किन खातेदारों से जमीन ली जानी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में बिना किसी प्रकार की जांच किए व तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाए राज0काश्त0अधि0 1955 के नियम 69 जो कि आज्ञापक है कि पालना कराए बिना ही आदेश पारित कर दिया। अपीलांट अपनी खातेदारी व संयुक्त खातेदारी में आने जाने के लिए धारा 251ए राज0काश्त0अधि0 के तहत रास्ते की मांग की थी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि सह खातेदारों को पक्षकार बनाने का आदेश देकर सह खातेदारों को सुनकर अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं करना चाहिए था। अपीलांट ने खातेदारी व संयुक्त खातेदारी के लिए रास्ता मांगा था न कि संयुक्त खातेदारी में से अधीनस्थ न्यायालय के सामने यह तथ्य आने पर सह खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिए था, जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने संयुक्त खातेदारी की आराजी होने के आधार पर अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस में कथन किया कि ग्राम बलाड़ की भूमि खसरा नम्बर 1938 प्रार्थी की एकल स्वामित्व की भूमि व खसरा नम्बर 2965/1960 प्रार्थी की संयुक्त स्वामित्व की भूमि है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1938 पर आने जाने हेतु नक्शा लंक लाट अनुसार कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा खसरा नम्बर 2965/1960 पर आने जाने हेतु नक्शा लंकलाट अनुसार सिवायचक खसरा नम्बर 1928/1963 एवं 2964/1960 का उपयोग किया जाता है। खसरा

नम्बर 1925 मुख्य ग्रामीण सड़क है जो डामरीकृत होकर मौके पर मौजूद है जिससे प्रार्थी अपने खेत पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1928, 1929, 1963, 2964/1960 का उपयोग कर आते जाते है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1938 पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा खसरा नम्बर 2965/1960 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1928, 1929, 1963, 2964/1960 में से होकर जाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है उससे 4 खसरे प्रभावित होते हैं। जिनमें प्रभावित रकबा रास्ता 30 फीट की चौड़ाई में दिए जाने की स्थिति में खसरा नम्बर 1928 में से लगभग 00–05–00 भूमि खसरा नम्बर 1929 में से 00–00–15 भूमि, खसरा नम्बर 1963 में से 00–05–00 भूमि एवं खसरा नम्बर 2964/1960 में से 00–04–00 भूमि रकबे के रूप में प्रभावित होगी। उक्त चारों प्रभावित खसरे एवं भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि ना होकर सिवायचक भूमि है। खसरा नम्बर 1929 नक्शा लंकलाट में एवं मौके पर रास्ते के रूप में विद्यमान है किंतु राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा की किस्म बारानी–3 दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट ने सभी सह–खातेदारो का अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मंगाई मौका रिपोर्ट प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते के अनुसार ही है किन्तु अपीलांट/प्रार्थी ने जिन खसरा नम्बरान के लिए रास्ते की मांग की है। उक्त खसरा नम्बरों के सह–खातेदार को अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकारा संयोजित नहीं किया है, जो त्रुटिपूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि यदि सह–खातेदार प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं है तो उनको पक्षकार संयोजित कर, उनका जवाब प्राप्त कर विधि सम्मत आदेश पारित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं कर अविधिक त्रुटि कारित की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2022 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रकरण में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए 251 ए प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर पुनः मौके की सभी पक्षकरों की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्ग को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निरस्तारण कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 74/2021 (2021/297) में पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए 251 ए प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पुनः मौके की सभी पक्षकरों की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्ग को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निरस्तारण कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में दिनांक 05.12.2022 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

8. निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।